रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 409] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 1981/भाद्र 13, 1903
No. 409] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 1981/BHADRA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1981

का. आ. 684(अ)/18कक/आई डी आर ए/80.—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 134(अ) 18कक/आई डी आर ए/79 तारीख 13 मार्च, 1979 द्वारा यथा उपांतरित आदेश सं. का आ. 529(अ) 18कक/आई डी आर ए/74-तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, बंद और रूग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्त कहा गया है) मैसर्स इंडिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर, पश्चिमी बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) तारीख 6 सितम्बर, 1974 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं का. आ. 512(अ)/18कक/आई डी आर ए/79, तारीख 4 सितम्बर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 5 सितम्बर, 1980 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं का. आ. 749(अं.)/18कक/आई. डी. आर. ए/80, तारीख 5 सितम्बर, 1980 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 5 सितम्बर, 1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा छह मास की और अवधि के लिए जारी रखा जाए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश मार्च, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं. 2/14/80-सी यू सी.]

सी के मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th September, 1981

S.O. 684(E)/18AA/IDRA/81.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)|18AA|IDRA|74, dated the

6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134(E)|18AA|IDRA|79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, the Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of M/s. India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974.

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 512(E)|18AA|IDRA|79, dated the 4th September, 1979, the duration of the said Order was extended for a further period of one year upto and inclusive of the 5th September, 1980;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 749(E)|18AA|IDRA|80, dated the 5th September, 1980, the duration of the said Order was further extended for a further period of one year upto and inclusive of the 5th September, 1981;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 5th March 1982.

[No. 2|14|80-CUS.]

C. K. MODI, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981